न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 17/20 GCMS NO 2020/00036

1. मूडया
2. बदरी
3. रामजीलाल
4. कैलाश
5. रमेश पिसरान मान जातियान गुर्जर निवासीयान गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. खिलाडी उर्फ रामखिलाडी पुत्र रामकिशन
2. सरदार पुत्र रामकिशन
3. पुखराज पुत्र रामकिशन
4. धापा पत्नि रामकिशन
5. लक्ष्मीदेवी पत्नि सरदार
6. सुररजो देवी पत्नि पुखराज जातियान गुर्जर निवासी ढाणी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती।
7. पंजाब नेशनल बैक शाखा गुढाचन्द्रजी जरिये शाखा प्रबंधक
8. एस0बी0आई बैंक शाखा गुढाचन्द्रजी जरिये शाखा प्रबंधक
9. स्टेट आफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती जिला करौली।

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 39/19 निर्णय दिनांक 10.1.20 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 15.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.1.2020 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान का पूर्वज खीवन था। खीवन की जमीन व अचल सम्पति के वारिसान रामकिशन एवं मान दो ही थे। जो बराबर बराबर हिस्से के हिस्सेदार थे। रामकिशन के पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:40 IST
Reason: SelfAttested

15/10/24

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रामखिलाडी को न तो कभी छीतर ने गोद लिया ना ही कभी सुन्दर ने गोद लिया। रामखिलाडी रामकिशन का पुत्र है। रामखिलाडी के समस्त दस्तावेजात मे पिता का नाम रामकिशन दर्ज है। छीतर के पहले से दो पुत्र रामकिशन व मान होने से छीतर द्वारा अपने पौत्र (नाती) को गोद लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता। राजस्व रिकार्ड मे हेर फेर व फर्जकारी रामकिशन ने की जाकर मान के हिस्से की आराजीयात को भी हडप कर ली गई। छीतर का एक कुटुम्बी सुन्दर भी था। जो लाऔलाद फौत हो गया। उसने अपने जीवन काल मे किसी को भी गोद नही लिया। रामखिलाडी सुन्दर को दत्तक पुत्र नही है। आराजी ख0न0 641 रकबा 14 विस्वा, ख0न0 654 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, ख0न0 659 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, ख0न0 663 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा , ख0न0 647/1564 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 24 बीघा 3 विस्वा की आराजी थी। जिसमे मान का 1/2 हिस्सा तथा रामकिशन का 1/2 हिस्सा था। इसके अलावा कुटुम्बी सुन्दर की खातेदारी भूमि ख0न0 667 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा , ख0न0 652/1479 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा थी। सुन्दर के वारिसान मान व रामकिशन थे तथा दोनो 1/2 , 1/2 हिस्से के हिस्सेदार थे। स्व0सुन्दर ने अपने जीवनकाल मे किसी को गोद नही लिया परन्तु रामखिलाडी के पिता रामकिशन ने फर्जी तरीके से रामखिलाडी का नाम राजस्व रिकार्ड मे कही खिलाडी को सुन्दर का दत्तक पुत्र तथा कही रामखिलाडी को छीतर का दत्तक पुत्र दर्ज करवा लिया। जबकि समस्त सरकारी रिकार्ड मे रामखिलाडी के पिता का नाम रामकिशन दर्ज है। गैरसायल रामखिलाडी द्वारा फर्जी तरिके से अपने पैतृक खाते मे अपने नाम केवल खिलाडी तथा सुन्दर वाले खाते मे अपना नाम रामखिलाडी दर्ज करवा रखा है। जबकि खिलाडी व रामखिलाडी एक ही व्यक्ति है। स्व0छीतर व स्व0रामकिशन द्वारा छोडी गई समस्त आराजीयात मे सायलान का 1/2 हिस्सा है। स्व0सुन्दर द्वारा छोडी गई आराजीयात कुल रकबा 1.31 है0 मे सायलान को 1/2 हिस्सा एवं गेरसायलान 1 ता 4 को 1/2 हिस्से का टीनेन्ट घोषित किया जाना न्यायसंगत है। छीतर द्वारा छोडी गई आराजीयात साबिक ख0न0 668 रकबा 10 बीघा 7 विस्वा के सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन नम्बर कायम कर दिये गये है। इसके अलावा साबिक खसरा न0 659, 663,654 के नवीन खसरा नम्बर कायम कर दिये गये है। खसरा न0 2616 रकबा 26 ऐयर , ख0न0 2617 रकबा 16 ऐयर , ख0न0 2629 रकबा 34 ऐयर , ख0न02630 रकबा 20 ऐयर खसरा न0 2631 रकबा 33 ऐयर मंदिर मूर्ति सीताराम जी विराजमान गुढाचन्द्रजी के नाम दर्ज हो गये है। लेकिन उक्त आराजीयात पर कब्जा सायलान व गैरसायलान का 1/2, 1/2 हिस्से पर चला आ रहा है। साबिक खसरा न0 647/1554 के नवीन खसरा न0 2659,2690 कुल रकबा 0.79 है0 कायम हुए है तथा साबिक ख0न0 647/1564 का नवीन ख0न0 2854 रकबा 55 ऐयर कायम हुए है तथा साबिक ख0न0 649/1489 के नवीन ख0न0 2868 रकबा 67 ऐयर कायम हुए है। जिसमे सायलान का 1/2 हिस्सा तथा गैरसायलान 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा कानूनन दर्ज होना चाहिए था परन्तु सेटलमेट विभाग के कर्मचारियो से साज कर गैरसायलान ने अपने हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। रामखिलाडी के नाम से अलग सात खाते कायम करवा लिये गये। [illegible] रूप से दिनांक 27.9.72 को महेशदास चेला कृष्णदास से आराजी साबिक ख0न0 [illegible] 2 बीघा 15 विस्वा विल एवज 800 रूपये मे कय की थी। जिसके नवीन [illegible] व ख0न0 587 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:40 IST
Reason: SelfAttested

15/10/24

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

16 ऐयर कायम हुए है। गैरसायल रामखिलाडी ने सेटलमेंट द्वारा की गई फर्जकारी व फर्जी इन्द्राजात का लाभ उठाने के आशय से ख0न0 2591,2592,2671,2674,2854 व 2868 कुल रकबा 2.09 है0 का बेचान बिना प्रतिफल के नुमाईशी तौर पर बिना कब्जा हस्तान्तरण के परिवार की सदस्य अपने छोटे भाई सरदार की पत्नि लक्ष्मीदेवी व पुखराज की पत्नि सुरजोदेवी के नाम विक्रयपत्र पंजीवद्व करवा दिया। रामखिलाडी के पुत्र ही है केवल पुत्री है पुत्री को अधिकारो से वंचित करने लिए रामखिलाडी यह कार्य किया है। सायलान/अपीलांट का कब्जा शुरू से आजतक छीतर व सुन्दर की आराजीयात पर 1/2 हिस्से पर चला आ रहा है तथा स्वअर्जित सम्पति पर कब्जा चला आ रहा है। गैरसायलान लठठ व ताकत के जोर पर सायलान से उसके हिस्से की भूमि को छीनना चाहते है। भूमि ख0न0 2562, 2587 तथा पैतृक आराजी ख0न0 2560, 2561, 2586, 2588, 2589, 2590,2591,2592,2653,2654,2868,2593,2671 ,2674, 2594,2595 कुल रकबा 7.79 है0 वाके तन गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती मे सायलान के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे ना ही अन्य से करावे तथा उक्त आराजी को रहन वय हस्तान्तरित नही करे रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस प्रकार की ईस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायलान द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 के अधिवक्ता को वरवक्तत बहस आवाजे लगवाई गई इन्तजार किया। उपस्थित नही होने से अपीलांट अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने व रेस्पो0 द्वारा गलत फर्जी तरीके से रेस्पो0 न0 2 व 3 की पत्नियो के नाम गल विकय पत्र तस्दीक कराये बिना व बिना साबिक रिकार्ड पर गौर किये बिना ही तथा रिकार्ड का अवलोकन किये ही अपलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त समस्त आराजीयात छीतर व सुन्दर की है। जिसके वारिसान रामकिशन व मान दोनो 1/2 , 1/2 हिस्से के हकदार है। उक्त समस्त भूमि सुन्दर व छीतर के खाते मे रही है। छीतर के कानूनी वारिस दोनो पुत्र रामकिशन व मान है। मान के वारिसान अपीलांट रामकिशन के वारिसान रेस्पो0 है। जो 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार है। सुन्दर छीतर का कुटुम्बी था किसकी समस्त आराजीयात अपीलांट व रेस्पो0 को आधी आधी होनी चाहिए थी। इन तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त भूमि पैतृक छीतर व सुन्दर के खाते की होने व वारिसान के मध्य सही व उचित हिस्सा सेटलमेट द्वारा गलत तरीके से करने व रामखिलाडी जो कि [illegible] छीतर व सुन्दर के दस्तख्त दर्ज होने की रिकार्ड पर भी अमल नही करते हुए सब [illegible] को [illegible]जर अन्दाज कर विवाद अधिक बढने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की संभावना होने व खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा करने प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तथ्यो पर गौर नही कर फोरी तौर पर निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आपस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पो0 जो पावन्द फरमाया जावे कि भूमि हाल ख0न0 2560, 2561, 2586, 2588, 2589, 2590 ,2591, 2592, 2653, 2654,2868,2593,2671 ,2674, 2594,2595 कुल रकबा 7.79 है0 वाके तन गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती हिस्सा 1/2 व ख0न0 2562 व 2787 सम्पूर्ण भूमि मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे तथा उपयोग उपभोग किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवाद सुन्दर की भूमि को लेकर है। सजरा खसरा मे सुन्दर का कोई नाम अंकित नही है। छीतर द्वारा सुन्दर को गोद लेने बाबत किसी प्रकार की कोई लिखावट पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ना ही यह सिद्व कर पाया कि सुन्दर किस प्रकार कुटुम्बी था। छीतर के पहले से दो पुत्र रामकिशन एवं मान थे फिर छीतर सुन्दर को गोद [redacted] ले सकता है। सुन्दर की भूमि के अधिकार किसे प्राप्त होगे यह अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन दावे मे तय किये जावेगे। सुन्दर की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 667 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा एवं ख0न0 652/1479 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा थी। जिसे रामखिलाडी द्वारा रेस्पो0 संख्या 5 लक्ष्मीदेवी पत्नि सरदार एवं रेस्पो0 संख्या 6 सुरजो देवी पत्नि पुखराज को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की गई है। चूकि हक हकूक दावे मे निर्णित होते है और पक्षकारो के मध्य आपस मे विवाद बढने एवं खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा से विधि अनुसार दावे के निस्तारण तक सुन्दर की आराजीयात की हद तक उभयपक्ष को पावन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के मुकदमा न0 39/19 दिनांक 10.1.2020 को आपस्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक पावन्द किया जाता है कि सुन्दर की खातेदारी भूमि ख0न0 667 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा एवं खसरा न0 652/1479 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती के रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे एवं रहन बय हस्तान्तरण नही करे।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

15/10/24

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner